कार्यालय- कुटुम्ब न्यायालय, राजनांदगांव (छ0ग0)

-आपत्ति के निराकरण की सूचना-

समस्त अभ्यर्थीगण Anonymous (ड्रॉप बॉक्स से), करन राजपूत (पंजीकृत डाक से), राजेश खरे(ई-मेल से प्राप्त), चन्द्रेश मण्डावी के ई-मेल से, शुभ मानिकपुरी के ई-मेल से, आवेदकगण(नंदनी चन्द्राकर, वन्दना कश्यप, ईश्वरप्रसा सोनकर, युगल साहू, उमेश साहू) का आवेदन पंजीकृत डाक से, आवेदकगण (तुशार सोनी, हितेश पटेल, दीपिका यादव, निशांत बनवासी, रामेश्वरी यादव) का आवेदन पंजीकृत डाक से, सरस्वती (ड्रॉप बॉक्स से), नंदनी चंद्राकर(ड्रॉप बॉक्स से), विक्रांत देवांगन (ड्रॉप बॉक्स से), मंजू चौरसिया (ड्रॉप बॉक्स से) द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर समान विषय की यह आपत्ति की गई है कि *"कोविड-19 के समय लगभग तीन वर्षों तक स्नातक परीक्षाएं ऑनलाईन माध्यम से ली गयी थी जिसमें परीक्षार्थियों द्वारा ऑनलाईन घर में बैठकर परीक्षा दिलायी गयी थी इस दौरान छात्र-छात्राओं का प्रतिशत काफी अधिक आया है संभवतः घर में परीक्षा दिलाने से नकल सुविधा उन्हें प्राप्त हुई थी जिसके चलते ही इस कोविड-19 वर्ष में ऑनलाईन दिलाये गये परीक्षा से उनका स्नातक का प्रतिशत काफी अधिक है ऐसी स्थिति में अन्य परीक्षार्थी/अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व में ऑफलाईन माध्यम से ईमानदारी से परीक्षा उत्तीर्ण की गयी थी जिनका प्रतिशत संभवतः ऑनलाईन वालों से कम ही है, ऐसी स्थिति में मैरिट लिस्ट के आधार पर कौशल परीक्षा हेतु निर्धारित किये गए प्रक्रिया को रद्द किया जावे।"*

आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत आवेदनों का परिशीलन किया गया। आवेदकगण के द्वारा अपने आवेदन में उल्लेखित कारणों के संबंध में कोई ऐसा तथ्य/प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही शासन के द्वारा जारी उक्त संबंध में किसी प्रकार का निर्देश/परिपत्र उपलब्ध या ज्ञात है।

आपत्तियों का निराकरण इस प्रकार किया जाता है कि भर्ती की प्रक्रिया जारी विज्ञापन के अनुसार की जावेगी। अतः उपरोक्त आवेदकगणों की अंपत्ति आधारहीन होने से **निरस्त** किया गया है।

10.7.023

अध्यक्ष
विभागीय चयन समिति/
विशेष न्यायाधीश (एट्रो0)
राजनांदगांव (छ0ग0)